



पूर्वी उत्तर प्रदेश भू०—स्था० ऑकड़ा केन्द्र, लखनऊ

East UP Geo-spatial Data Centre, Lucknow

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

SURVEY OF INDIA

विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी मंत्रालय

Department of Science & Technology

भारत सरकार

Government of India

प्रायवेट सुरक्षा कर्मियों (निःशस्त्र) को अनुबंध पर उपलब्ध कराने हेतु
निविदा पत्र

**Tender Document for hiring of Private Security
Guards (unarmed)**

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



निदेशक का कार्यालय,
पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
बी-2, द्वितीय तल, पिकप भवन
विभूती खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ & 226010
दूरभाष- (0522) 2720638] 2720740]
2720634 (फैक्स)

OFFICE OF DIRECTOR,
EAST UTTAR PRADESH GEOSPATIAL DATA CENTRE,
SURVEY OF INDIA
B-2, 2nd Floor, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, LUCKNOW-226 010.
Phone: (0522) 2720638, 2720740 2720634(Fax)
E mail: upgdc_lko@yahoo.com

निविदा आमंत्रण सूचना

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र एवं वेयर हाउसिंग के मध्य स्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश, भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, लखनऊ के कार्यालय भवन हेतु पंजीकृत फर्मों से निजी सुरक्षा कर्मी मासिक भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु मुहरबंद निविदा / कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

2) निदेशक, पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, लखनऊ को सम्बोधित मुहरबंद निविदा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण-रूपेण भरी हुई, निदेशक के कार्यालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, पिकप भवन, बी-2, द्वितीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 पर दिनांक 05-08-2013 को अपराह्न 01 : 00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

3) लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, लखनऊ हेतु सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने हेतु निविदा" अंकित किया जाये। निविदा के साथ ₹ 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए जो कि "CP&AO, Dehradun" के पक्ष में देहरादून में देय हो। चयन की स्थिति में यह धनराशि तैनाती-शुल्क से समायोजित कर दी जायेगी या चयन नहीं होने की स्थिति में 15 दिनों के भीतर वापिस कर दी जायेगी।

4) निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र समस्त नियम व शर्तों के साथ इस कार्यालय में भण्डार अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 : 00 बजे से सायं 4 : 00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा विभागीय वेब पते <http://www.surveyofindia.gov.in> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

5) पैरा - 2 में वर्णित पते पर प्राप्त निविदाओं को निदेशक के कक्ष में दिनांक 05-08-2013 को अपराह्न 02 : 00 बजे समिति द्वारा खोला जावेगा जिसमें निविदा जमा करने वाली फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

6) बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

निदेशक
पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, लखनऊ।



निविदा का विवरण

1.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी का पद व पता	: निदेशक, पूर्वी उ0प्र0 भू-स्थाठा0 ऑकड़ा केन्द्र, बी-2, द्वितीय तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010।
2.	निविदा नोटिस सं0	: 3435 /11-C दिनांक 10-07-2013
3.	कार्य का नाम	: प्रायवेट सुरक्षा कर्मियों को अनुबंध पर उपलब्ध कराने के सम्बंध में।
4.	कार्य का स्थान	: विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र एवं वेयर हाउसिंग के मध्य पूर्वी उ0प्र0 भू-स्थाठा0 ऑकड़ा केन्द्र का कार्यालय परिसर
5.	निविदा जारी करने की तिथि	: 10-07-2013
6.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	: 05-08-2013, अपराह्न 01 : 00 बजे तक
7.	लिफाफे पर संबोधन / पता	: निदेशक का कार्यालय, पूर्वी उ0प्र0 भू-स्थाठा0 ऑकड़ा केन्द्र, बी-2, द्वितीय तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
8.	निविदा खुलने की तिथि व समय	: 05-08-2013 को अपराह्न 02:00 बजे
9.	Amount of Earnest Money Deposit (EMD)	: ₹ 20,000 (₹ बीस हजार मात्र)
10.	निविदा/फार्म का मूल्य	: शून्य
11.	निविदा में कुल पृष्ठों की सं0	: 12

नोट :

1. निविदा फार्म व सम्बंधित अभिलेख विभागीय वेब साईट से डाउनलोड किए जा सकते हैं परन्तु निविदा को Physical Form में जमा करना आवश्यक होगा। ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त निविदाओं को अमान्य कर दिया जावेगा।
2. पूर्ण-रूपेण भरी हुई निविदायें निश्चित तिथि व समय तक या उससे पूर्व कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। देर से प्राप्त हुई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नियम व शर्त (Terms & Conditions)

1. कार्यालय प्रारम्भिक रूप से 06 सुरक्षा कर्मियों (निःशस्त्र) को विभूतिखण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय भवन की सुरक्षा के लिए अनुबंध पर रजिस्टर्ड फर्म द्वारा लेना चाहता है।
2. सुरक्षा कर्मियों को प्रारम्भ में एक वर्ष हेतु अनुबंध पर लेना प्रस्तावित है। जिसे सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर अगले एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
3. निविदाकर्ता फर्म हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हताएँ :-
 - i) फर्म का भारत सरकार के “The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र सरकार के सम्बंधित कार्यालय में पंजीयन व श्रम लाइसेन्स होना अनिवार्य है (पंजीयन प्रमाण पत्र व श्रम लाइसेन्स की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)। श्रम लाइसेन्स व पंजीयन निविदा खुलने के बाद की तिथि से कम से कम 12 माह हेतु वैध होना चाहिए।
 - ii) फर्म उपलब्ध करवाए गए कर्मियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) की मासिक किश्त/अंशदान (both employer & employee share), सेवा कर (Service Tax), इत्यादि सम्बंधित कार्यालयों में जमा करने हेतु पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगी। इस सम्बंध में जमा की गयी रसीदों की फर्म द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियों अगले माह के बिलों के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इस सम्बंध में कार्यालय की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।
 - iii) फर्म का सुरक्षा एजेंसी के संचालन हेतु आवश्यक आयकर खाता (TAN/PAN), सेवा कर पंजीयन खाता सं0, भविष्य निधि पंजीयन एवं अन्य निर्धारित आवश्यक पंजीयन होना चाहिए।
 - iv) फर्म को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
 - v) फर्म का वार्षिक टर्न ओवर वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹ 20 लाख व 2011–12, 2010–11 में ₹ 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए।
 - vi) फर्म के पास न्यूनतम 50 सुरक्षाकर्मी मासिक रूप से on roll होने चाहिए एवं पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम तीन शासकीय/अद्वशासकीय कार्यालयों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाए हों।
 - vii) सुरक्षा कर्मियों का लोकल पुलिस थाने से सत्यापन करवाना फर्म का दायित्व होगा एवं उक्त सत्यापन जाँच की रिपोर्ट work order जारी होने से पूर्व कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. सुरक्षाकर्मी को बदलने से पूर्व फर्म को कार्यालय को पूर्व सूचना देना आवश्यक है। आकस्मिक परिस्थितियों जैसे कि सुरक्षाकर्मियों के बीमार होने इत्यादि में फर्म सुरक्षाकर्मी को बदल सकती है परंतु यह नियमित तौर पर नहीं होना चाहिए।
- 5- सुरक्षाकर्मी निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे। प्रतिदिन ड्यूटी कुल आठ घंटे की होगी जिसमें आधा घंटे का लंच शामिल नहीं है। सामान्यतः एक समय में 2–2 गार्ड प्रतिदिन 8 घण्टे ड्यूटी करेंगे (साप्ताहिक अवकाश के दिन को छोड़कर)। प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को सप्ताह में एक दिन कमानुसार (on – rotation) साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। ड्यूटी प्रतिदिन 3 पारियों में होगी, जिसकी अवधि 06:00 – 14:00, 14:00 – 22:00 एवं 22:00 से अगले दिन 06:00 बजे तक रहेगी।
- 6- फर्म सुरक्षाकर्मियों को उच्च गुणवत्ता की ग्रीष्म व शीत कालीन वर्दी नेम प्लेट के साथ स्वयं के खर्च पर उपलब्ध करायेगी। प्रदान किये गये सुरक्षाकर्मी का यह दायित्व होगा कि वह ड्यूटी के समय वर्दी साफ–सुथरी स्थिति में पहने। वर्दी के साथ बेल्ट, जूते–मोजे, टोपी, टार्च सेल के साथ, रेन–कोट, छाता इत्यादि फर्म द्वारा स्वयं के खर्च पर सुरक्षाकर्मी को उपलब्ध कराने होंगे। फर्म द्वारा प्रयोग की जाने वाली वर्दियों की रंगीन फोटो निविदा के साथ संलग्न करें।
- 7- सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम मासिक वेतन का भुगतान फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् देय TDS इत्यादि काटने के उपरान्त किया जायेगा।

- 8- उपलब्ध करवाये गये सुरक्षाकर्मियों की चिकित्सा एवं श्रम नियमों के अनुसार अन्य जिम्मेदारियों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित फर्म की ही होगी।
9. फर्म उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों की श्रम कानूनों के अन्तर्गत नियमित स्वास्थ्य जॉच स्वयं के खर्च पर करायेगी।
10. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की प्रत्येक दिवस की ड्यूटी का रिकार्ड लॉग शीट में maintain किया जायेगा। माह की समाप्ति पर पूर्णरूपेण भरी हुई लॉग शीट जिसे कार्यालय के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, को बिल के साथ संलग्न कर मासिक रूप से कार्यालय में जमा की जायेगी।
11. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों हेतु न्यूनतम अर्हतायें :-
- सुरक्षाकर्मी को प्रतिदिन ड्यूटी पर साफ-सुथरी एवं प्रेस की हुई निर्धारित वर्दी में आना अनिवार्य है।
 - सुरक्षाकर्मी को हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में लिखना-पढ़ना आना चाहिए ताकि वह आगन्तुक की पहचान निर्धारित कर सके व सम्बंधित विवरण को रजिस्टर में दर्ज कर सके।
 - सुरक्षाकर्मी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए एवं उसकी आयु 25–50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए किन्तु भूतपूर्व सैनिक या पैरा मिलिट्री फोर्स से सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी।
 - सुरक्षाकर्मी सुरक्षा से सम्बंधित विषयों/मुद्राओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए। साथ ही उन्हें fire-fighting एवं metal detector उपकरणों को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए।
 - सुरक्षाकर्मी को मृदुभाषी व व्यवहार कुशल होना चाहिए।
 - सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी हेतु एक बार स्थान व समय आवंटित कर देने के उपरान्त व अगले आदेश तक उसी स्थान व समय पर ड्यूटी करेंगे।
12. करार की उपरोक्त नियम व शर्तों का पालन नहीं करने पर कार्यालय के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा फर्म पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ defaults पर पेनाल्टी इस प्रकार होंगी :-

क्र सं	उल्लंघन का प्रकार	जुर्माना (₹ में)
1	देर से ड्यूटी आने पर	100/- प्रतिदिन
2	ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने पर (प्रत्येक तिमाही में 5 अवसरों को छोड़कर)	500/- प्रतिदिन
3	ड्यूटी पर पहुँचने के बावजूद गैरहाजिर पाये जाने पर	500/- प्रतिदिन
4	निर्धारित वर्दी नहीं पहनने पर	100/- प्रत्येक मौके पर
5	बिना पूर्व अनुमति के सुरक्षाकर्मी बदलने पर	1000/- प्रत्येक मौके पर
6	अस्वस्थ होने पर	100/- प्रतिदिन
7	नशे की अवस्था में पाये जाने पर	1000/- प्रतिदिन

13. उपलब्ध करवाए गये सुरक्षाकर्मी फर्म के ही कर्मचारी रहेंगे व विभाग/कार्यालय का उनसे कर्मचारी और रोजगारदाता अथवा मालिक और नौकर का सम्बंध नहीं होगा। वह सिर्फ कार्यालय द्वारा दिये गये आदेशों का पालन कर अपनी ड्यूटी करेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गये सुरक्षाकर्मी की कार्यालय परिसर में ड्यूटी के दौरान अथवा परिसर के बाहर मृत्यु दुर्घटना अथवा किसी भी प्रकार का चोट इत्यादि होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना राशि के दावे पर विचार नहीं करेगा और न ही दूसरी जिम्मेदारी होगी। फर्म भारतीय सर्वेक्षण विभाग को इस प्रकार के समस्त दावों से मुक्त (Indemnified) रखेगी।
14. सुरक्षाकर्मी अनुबंध के अनुसार कार्य करेंगे व वह कार्यालय से नियमित रोजगार की माँग नहीं करेंगे।

15. किसी भी कारणवश सुरक्षाकर्मी के ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने की दशा में फर्म को उसके स्थान पर अन्य सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध कराना होगा। यदि फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो कर्मी को उस दिवस अनुपस्थित मानकर मासिक वेतन दिया जायेगा, साथ ही पैरा-12 में वर्णित जुर्माना भी लगाया जायेगा। तथापि एक तिमाही (अप्रैल – जून, जुलाई – सितम्बर, अक्टूबर – दिसम्बर, जनवरी – मार्च) के दौरान 5 बार किसी गार्ड को दोहरी ड्यूटी करने की छूट रहेगी, यदि अगली ड्यूटी का सुरक्षाकर्मी नहीं पहुँचता है।
16. Earnest Money Deposit (EMD) के रूप में निविदा के साथ ₹ 20,000 (रूपये 20000 मात्र) का ड्राफ्ट जो कि CP&AO, Dehradun के पक्ष में देहरादून में देय हो, संलग्न करें। सैन्य कल्याण बोर्ड/फर्म को EMD की धनराशि जमा नहीं करने की छूट रहेगी।
17. निविदा अनुलग्नक 'अ' एवं 'ब' के अनुसार होनी चाहिए। निविदा में दी गयी दरें अनुबंध अवधि अर्थात् बारह मास के लिए निश्चित रहेंगी व उनमें किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी।
18. आवेदक अपनी निविदा को एक बड़े सील लगे लिफाफे में बंद कर "पूर्वी उ0प्र0 भू–स्था0 ऑकड़ा केन्द्र, लखनऊ, बी-2, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ 226010" के मुख्य द्वार पर रखे 'Tender Box' में दिनांक 05-08-2013 को अपराह्न 1 : 00 बजे या उससे पूर्व डाल सकते हैं। किसी भी निविदा के लिये पावती प्रदान नहीं की जायेगी।
19. एक बार निविदा जमा करने के उपरान्त किसी भी स्थिति में उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। किसी भी गलती पर तथा निविदा स्वीकार करने के उपरान्त, निविदा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया हुआ माना जायेगा और निविदा की Earnest Money Deposit (EMD) को जब्त किया जा सकता है और /या दण्ड राशि अधिभारित की जा सकती है, जैसी भी स्थिति हो।
20. निविदाये "निदेशक, पूर्वी उ0प्र0 भू–स्था0 ऑकड़ा केन्द्र, लखनऊ" द्वारा गठित "निविदा मूल्यांकन समिति" द्वारा दिनांक 05-08-2013 को अपराह्न 02 : 00 बजे "निदेशक, पूर्वी उ0प्र0 भू–स्था0 ऑकड़ा केन्द्र, लखनऊ" के कक्ष में निविदा जमाकर्ता या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। प्रतिनिधियों द्वारा "निविदा मूल्यांकन समिति" की बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में उनके पास निविदा जमाकर्ता / आवेदक फर्म का प्राधिकार पत्र होना चाहिए।
21. आवश्यक सुरक्षा कर्मियों, जिनको फर्म द्वारा वॉछित समय के लिए अनुबंध पर मॉगा गया है, उनकी आपूर्ति में असफल होने की स्थिति में अनुबंध विभाग द्वारा निरस्त किया जा सकता है और निविदा की Earnest Money Deposit (EMD) को जब्त किया जा सकता है।
22. निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद की स्थिति में "निदेशक, पूर्वी उ0प्र0 भू–स्था0 ऑकड़ा केन्द्र, लखनऊ" का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
23. फर्म को अपने खर्च पर ₹ 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध अनुलग्नक 'स' के अनुसार करना होगा।
24. निविदा प्रक्रिया में असफल घोषित की गयी फर्म की Earnest Money Deposit (EMD) ₹ 20,000 (रूपये बीस हजार मात्र) का Bank Draft निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर वापिस कर दी जायेगी एवं सफल रही फर्म की Earnest Money Deposit (EMD) तैनाती शुल्क से समायोजित कर ली जायेगी।
25. निविदा प्रक्रिया में सफल फर्म को अनुबंध से पूर्व ₹ 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) की Bank Guarantee परफार्मेंस निधि के रूप में कार्यालय में जमा करानी होगी जो कि अनुबंध खत्म होने के एक माह के अन्दर फर्म को लौटा दी जायेगी। इस जमा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य कल्याण बोर्ड के लिए बैंक गारंटी जमा करना अपेक्षित नहीं है।

26. यदि फर्म द्वारा प्रदत्त सुरक्षाकर्मी की लापरवाही अथवा गलती से कार्यालय को किसी भी प्रकार का नुकसान अथवा क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
27. फर्म रोजगार एवं श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) से कम वेतन सुरक्षाकर्मी को नहीं देंगे।
28. "निदेशक, पूर्वी उ०प्र० भू-स्था० ऑकड़ा केन्द्र, लखनऊ" के पास यह अधिकार होगा कि वह निविदा के किसी भी अंग या पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या निरस्त कर सकते हैं।
29. समस्त विवादों हेतु न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
30. यदि फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई भी कर्मी किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े इत्यादि में शामिल होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। यदि भारतीय सर्वेक्षण विभाग/भारत सरकार को सुरक्षाकर्मी के कारण किसी मामले में पार्टी बनाया जाता है तो अधिवक्ता एवं अन्य विधि शुल्कों की विभाग को प्रतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी फर्म की ही होगी।
31. संविदाकर्ता फर्म अनुबंध को पूर्णरूपेण अथवा उसके हिस्से को अन्य निजी फर्म को नहीं देगी।
32. अनुबंध निम्नलिखित सभी अथवा किसी एक परिस्थिति में रद्द किया जा सकता है :-

 - i) अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर।
 - ii) फर्म द्वारा सामान्य नियमावली के अन्तर्गत सेवा प्रदान नहीं करने पर एक माह का नोटिस देने पर।
 - iii) अनुबंध में उल्लिखित नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर।
 - iv) अनुबंध को अन्य किसी फर्म को sublet करने पर।
 - v) Competent court of law द्वारा फर्म को insolvent घोषित करने पर।

नोटिस की अवधि के दौरान कर्मी अपनी ड्यूटी करते रहेंगे व अनुबंध/नोटिस अवधि समाप्त होने पर फर्म उन्हें कार्यालय से हटा लेगी।

33. फर्म किसी अधिवक्ता के द्वारा अपने को represent नहीं करेगी।
34. उपरोक्त नियम व शर्तों बाध्यकारी हैं व इनका संचालन फर्म व कार्यालय के मध्य होगा।
35. फर्म अनुलग्नक 'द' के अनुसार नियम व शर्तों को मानने सम्बंधी प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करेगी।
36. फर्म का कार्यालय लखनऊ शहर में होना चाहिए। इस सम्बंध में प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करें।

निदेशक,
पूर्वी उ०प्र० भू-स्था० ऑकड़ा केन्द्र, लखनऊ।

सुरक्षा गार्ड (निःशस्त्र) को अनुबंध पर लेने के लिए निविदा प्रपत्र

1. आवेदक फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :
 टेलीफोन नं0 :
 फैक्स नं0 :
 e-mail ID :
 2. स्थायी खाता संख्या (पैन) एवं TAN :
 3. संचालक / साझेदार / निदेशक का नाम,
 पता एवं उनके स्थायी खाता संख्या (पैन) :
 4. सुरक्षा—एजेन्सी की स्थापना की तिथि :
 5 (i). सुरक्षा—एजेन्सी संचालन के लिए जारी
 लाइसेंस प्रदाता का नाम :
 5 (ii). लाइसेंस क्रमांक :
 6. प्रति सुरक्षा गार्ड दर का विवरण :

क्र० सं0	विवरण	राशि (₹ में एवं % में)
i.	न्यूनतम मासिक मजदूरी	:
ii.	कर्मचारी राज्य बीमा (ESI)	:
iii.	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)	:
iv.	फर्म का अन्य कोई व्यय, यदि हो तो	:
	कुल योग (i + ii + iii + iv)	:
v.	सेवा कर	:
	कुल महायोग	:

दिनांक :

स्थान :

बोली लगाने वाले की मोहर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

निविदा "निविदा मूल्यांकन समिति" द्वारा दिनांक 05-08-2013 को अपराह्न 02 : 00 बजे "निदेशक, पूर्वी उ0प्र0 भू-स्था0 ऑकड़ा केन्द्र, बी-2, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ" के निदेशक कक्ष में निविदा जमाकर्ता या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

निविदा के साथ लगाने वाले अभिलेखों की जाँच सूची (check-list)

क्रम संख्या	निविदा के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज	हॉ / नहीं
1	स्थायी खाता संख्या (पैन) एवं TAN संख्या की छायाप्रति (स्वप्रमाणित)	
2	फर्म की पंजी में दर्ज पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की संख्या, भूतपूर्व कर्मियों सहित, के सम्बंध में दस्तावेज	
3	सुरक्षा एजेन्सी चलाने के लिए जारी लाइसेंस की प्रमाणित प्रतिलिपि	
4	परीक्षक रिपोर्ट, बैलेन्स शीट, वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक लाभ व हानि का खाता के साथ आयकर विवरणी/ITR-V (यदि ई-फाईल किया गया है) की छायाप्रतियाँ	
5	प्रतिष्ठित ग्राहकों की उनके नाम व नियंत्रण अधिकारी के फोन नंबर के साथ सूची। तीन सार्वजनिक सेवा संस्थानों की उनके साक्ष्यों सहित सूची।	
6	कम्पनी/फर्म/मालिकाना व्यापार के संस्थापन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति	
7	राज्य/केन्द्र सरकार की सक्षम नियन्त्रण संस्था द्वारा सुरक्षा एजेन्सी चलाने के लिए प्रदान किये गये प्रमाण पत्र की छायाप्रति और “The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005”. या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत, जो आज की तिथि में राज्य में लागू हो।	
8	Earnest Money Deposit (EMD) के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (सैन्य कल्याण बोर्ड के लिए अपेक्षित नहीं)	
9	उद्धृत दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (समय–समय पर संशोधित एवं उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम आयुक्त द्वारा इस सम्बंध में दिये गये दिशा–निर्देश) की शर्तों को पूरी करती हों	
10	श्रम लाइसेंस की स्व प्रमाणित छायाप्रति	
11	लखनऊ शहर में स्थित कार्यालय के सम्बंध में प्रमाण पत्र	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

CONTRACT AGREEMENT

(Agreement to be executed on Non-judicial Court Stamp of Rs. 100/- value)

AGREEMENT MADE the day of Two thousand Thirteen between(hereinafter called "the Service Provider of Contractor" on the one part and the Director, East UPGDC, Survey of India, Lucknow (hereinafter referred to as the "Government") on the other part.

WHEREAS the Service Provider has tendered to the Director, East UPGDC, Survey of India, Lucknow for providing Security Guards as per the instructions given at the prices or rates mentioned in the Bid Form and whereas such tender has been accepted and the contractor has deposited with the Government performance Security for the fulfillment of this agreement.

Now it is hereby agreed between the two parties as following:

1. The contractor has accepted the contract on the terms and conditions listed in the Tender Document of the Tender Notice No. Dated Which will hold well during the period of this agreement.
2. Upon breach by the contractor of any of the conditions mentioned anywhere in the Tender Document. The Government may issue a notice in writing, and put an end to this agreement without prejudice to the right of the Government to claim damages for antecedent breaches thereof on the part of the service provider an also to reasonable compensation for the loss caused by the failure of the contractor to fulfill the agreement as certified in writing by the Government whose certificate shall be the conclusive evidence of the amount of such compensation payable by the contractor to the Government.
3. The Service Provider has deposited with the Government a Performance Security Deposit in the form of Bank Guarantee of Rs. 50000 as security for compliance and performance in accordance with contract. Upon expiry of the contract, the Performance Security Deposit will be returned to the Service Provider within one month without interest, and after deducting any sum due by the Service Provider to the Government under the terms and conditions of this agreement.

... cont. next page ...

4. This agreement shall be valid for one year only and shall remain in force until 03 months after the expiry of the contract period. However if the service for the period found satisfactory the agreement can be extended for the next year.
5. Notwithstanding any thing contained herein or in the tender and acceptance forms contained, the Government shall not be bound to take the whole or any part of the estimated manpower mentioned herein and may cancel the contract at any time upon giving one month's notice in writing without compensating the Service Provider in anyway whatsoever.
6. In consideration of the payments to be made by the department to the Service Provider as mentioned in the Tender Document, the Service Provider hereby agrees to provide to the Department the private Security Guards and to remedy shortcoming/deficiencies therein, if any, in conformity with the terms and conditions of Contract.
7. In witness thereof the service provider M/S has set his seal hereto and Director, East UPGDC, Survey of India, Lucknow or his authorized representative has on behalf of the Government of India affixed his signature and seal thereto on the day and the year noted above.

Contractor :

Survey of India

1) Witness 1) Witness

2) Witness 2) Witness

Place : Lucknow

अनुलग्नक 'द'

To,

The Director,
East UPGDC,
Survey of India,
B-2, Picup Bhawan,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow – 226010 (U.P.)

It is certified that all the terms and conditions of Tender No. /11-C dated 10 – 07 – 2013 of East UPGDC, Survey of India, B-2, Picup Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226010 have been understood by me/us and ready to accept the same without any variation. I/We understood that in the event of any investigation to verify the correctness of the statement (s) and document (s) with the tender paper and obtain clarification (s) /information (s) on the technical and financial aspects of the agency. I/We also understood that non compliance of the terms & conditions, my/our contract will be terminated.

Seal with Date

Signature of the Agency/authorized signatory of the agency